



पत्रांक : 1215 / भा.विवि / कुस.का / 2026

दिनांक : 22 जून 2026

कार्यालय-ज्ञाप

माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया की अपेक्षा के क्रम में विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-ई-4072/32-जी.एस./2026 दिनांक 21-06-2026 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अवस्थित समस्त भवनों, छात्रावास एवं समस्त परिसर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक (जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया जाता है। प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के बुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है।

माननीय कुलपति जी के उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(विकास)

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. अधिष्ठाता-छात्र कल्याण।
5. प्रोवोस्ट-पुरुष/महिला
6. कुलानुशासक।
7. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अपने संकाय/विभाग के शिक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें।
8. समस्त आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार पाठ्यक्रम/विषय के छात्र/छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. समस्त सहायक आचार्य (अस्थायी)/अतिथि व्याख्याता
10. प्रबन्धक/प्रोपराइट-मेर्स/कैंटीन
11. समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी

(मोहम्मद सहील)
उप कुलसचिव